क्रम–संख्या–36 (क)

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–19
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
परिनियत आदेश

लखनऊ, बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025
14 फाल्गुन, शक सम्वत् 1946

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या-753/वि0प0-04सं0/2025
लखनऊ, दिनांक 05 मार्च, 2025

———————

विज्ञप्ति

प0आ0-59

सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह विज्ञापित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष 2025 का प्रथम सत्र, जो दिनांक 18 फरवरी, 2025 की बैठक से प्रारम्भ हुआ था, दिनांक 05 मार्च, 2025 की बैठक की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 58 राजपत्र (483)-05-03-2025-585+25 प्रतियां (कम्प्यूटर)।